



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 13.01.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने पशु क्रूरता अधिनियम में 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक ट्रक जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 32 पशु बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं पशु तस्करो की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से एक ट्रक नं0 HR-39E-3274 जिसमें क्रूरतापूर्वक भरे हुए 32 पशु बरामद हुए है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली बागपत पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1-साहब सिंह पुत्र सुखदेव सिंह निवासी दिड फतेहाबाद हरियाणा ।
- 2-मौहम्मद शाकिर पुत्र मौहम्मद मशरूर निवासी मौ0 कुरैशियान कस्बा गंगोह जनपद सहारनपुर ।

बरामदगी का विवरण-

- एक ट्रक नं0 HR-39E-3274
- क्रूरतापूर्वक भरे हुए 32 पशु

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत ।
- 2- है0का0 399 वीरपाल सिंह थाना कोतवाली बागपत।

3- का0 60 संदीप कुमार थाना कोतवाली बागपत ।

4- का0 25 राजीव चौधरी थाना कोतवाली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बडौत

दिनांक -13.01.23

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 1190/22 धारा 302 भादवि में वांछित
01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 31.12.2022 को वादी मुकुल अहलावत पुत्र सुशील अहलावत निवासी ग्राम कन्डेरा थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा थाना आकर सूचना दी गई कि अभियुक्तगण विशाल व विशाल के भाई निवासीगण वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत व अन्य अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वादी के भाई विपुल की गोली मारकर हत्या कर दी। इस सम्बन्ध में थाना बडौत पर मु0अ0सं0 1190/22 धारा 302 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस

द्वारा थाने के मु0अ0सं0 1190/22 धारा 302 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त लविश को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

नोट- उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा दिनांक 01.01.23 को 02 अभियुक्तों विशाल व विशाल उर्फ विशू को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

लविश पुत्र अशोक निवासी ग्राम वाजिदपुर थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री अशोक कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2- है0का0 468 कुलदीप देशवाल थाना बडौत बागपत ।
- 3- का0 403 नितिन त्यागी थाना बडौत जिला बागपत ।



प्रेस नोट

थाना बिनौली

दिनांक 13.01.2022

**थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 07/23 धारा 323/504/506 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.01.23 को थाना बिनौली पर वादी जुनैद पुत्र नसीम निवासी ग्राम व थाना बिनौली ने सूचना दी कि अभियुक्तगण 1- मधुर, 2-विशाल पुत्र देवेन्द्र, 3-हर्ष पुत्र लाल्ला व 4-आशीष पुत्र विनोद निवासीगण ग्राम बिनौली थाना बिनौली ने उसके साथ गाली-गलौच करते हुए मारपीट की । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 07/23 धारा 323/504/506 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 07/23 धारा 323/504/506 भादवि में वांछित अभियुक्त आशीष को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आशीष पुत्र विनोद निवसी ग्राम बिनौली थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- प्र0नि0 श्री सलीम अहमद थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 2- उ0नि0 श्री दिग्विजय सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 3- है0का0 90 रईस हैदर जैदी थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4- का0 811 योगेन्द्र थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट
थाना छपरौली

दिनांक 13.01.2023

थाना छपरौली पुलिस ने 01 वारंटी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही:-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा 01 वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।



गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्त का नाम व पता:-

विनीत पुत्र मंगल निवासी ग्राम सिनौली थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री हरिजेश कुमार थाना छपरौली बागपत ।

2-का 925 हेमन्त शर्मा थाना छपरौली बागपत ।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 13-01-2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 15/23 धारा 379/411 भादवि से सम्बन्धित 02 बाल अपचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए अन्य 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे/निशादेही से 03 कट्टे लोहे का स्क्रैप बरामद ।

संक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 12/01/2023 को श्री आस मौहम्मद पुत्र श्री नूरइलाही निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना खेकडा के साकरोद रोड पर स्क्रैप के गोदाम से 02 बाल अपचारियों द्वारा स्क्रैप चोरी कर ले जाते समय वादी व जनता द्वारा दोनों बाल अपचारियों को पकडकर मय चोरी के माल के थाने पर लाया गया । थाना



खेकडा पुलिस द्वारा बाल अपचारियों की निशादेही पर पूर्व में चोरी किये गये स्क्रैप बरामद किये गये तथा चोरी का सामान खरीदने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । इस संबंध में थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 15/2023 धारा 379/411 भादवि पंजीकृत किया गया ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना खेकडा पर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

- 1- बिलाल पुत्र शौकत निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2- आर्यन पुत्र बिलाल निवासी नई बस्ती कस्बा व थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 3-एक बालअपचारी-
- 4-एक बालअपचारी-

बरामदगी का विवरण-

- 03 कट्टे लोहे का स्क्रैप ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री वृक्षपाल सिंह ।
- 2-है0का0 425 लाखन सिंह ।
- 3-का0 978 पुनीत कुमार ।



प्रेस नोट
थाना रमाला

दिनाँक 13-01-2023

ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने गुमशुदा 05 साल की बच्ची को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनों को सुपुर्द किया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में चलाये जा रहे ऑपरेशन स्माइल अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने गुमशुदा 05 साल की बच्ची को अथक प्रयास के बाद अल्प समय में सकुशल बरामद कर उसके परिजनो को सुपुर्द किया गया ।

परिजनों द्वारा बागपत पुलिस का आभार प्रकट करते हुए भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी ।

बरामद करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री मनीष कुमार ।
- 2-म0का0 742 मीनाक्षी ।
- 3-म0का0 359 सुनीता ।





प्रेस नोट

थाना रमाला

दिनांक 13.12.2022

थाना रमाला पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 23 पच्चे अवैध देशी शराब बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 23 पच्चे अवैध देशी शराब उ0प्र0 मार्का बरामद हुई है।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना रमाला पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

उस्मान पुत्र फरजुल्ला निवासी असारा थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 23 पच्चे अवैध देशी उ0प्र0 मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री विनय कुमार थाना रमाला।
- 2- का0 23 अजयपाल थाना रमाला।